

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 18/2023-केन्द्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 19 अक्टूबर, 2023

सा.का.नि. (अ)- केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 674 (अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, क्रम संख्या 94 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)
"94क	1901	श्री अन्न के आटे की खाद्य तैयारी, पाउडर के रूप में, जिसमें वजन के अनुसार कम से कम 70% श्री अन्न शामिल हो, जिन्हे प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो से भिन्न" ।

2. यह अधिसूचना 20 अक्टूबर, 2023 से लागू होगी।

[फा.सं. सीबीआईसी-190354/195/2023-टीओ(टीआरयू-II)-सीबीईसी]

विक्रम वानेरे

अवर सचिव

नोट : मूल अधिसूचना संख्या 2/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, सा.का.नि. 674 (अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 04/2023-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 फरवरी,

2023, जिसे सा.का.नि. 150 (अ), दिनांक 28 फरवरी, 2023, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।